WESTERN RAILWAY

P.S.No.31/2012

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP (P&A)80/1

Date: 04.04.2012

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub : Revised rate of two additional increments of the Nursing Staff.

==========

A copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2010/I/7/5/1 dated 14.03.2012 (R.B.E.No.33/2012 PC-VI/286) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

( S. Kademani )
For General Manager(E)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI/ 286
No. PC-VI/2010/I/7/5/1

RBE No. 33 /2012
New Delhi, dated 14.03.2012

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

**Sub : Revised rate of two additional increments of the Nursing Staff.**

The Nursing Staff holding B.Sc. Degree as additional qualification, appointed before 01.01.1996, were extended the benefit of two advance increments in terms of para 160 (2) (iii) of IREM Vol. I, 1989 Edition. These are additional increments which are non-absorbable and are not treated as pay for the purpose of allowances. Further, instructions were issued in consultaion with Ministry of Health and Family Welfare vide Board's letter No. PC-V/2003/I/7/6/1 dated 28.02.2005 for continuation of the scheme and fixation of pay in the revised pay scales w.e.f. 01.01.1996.

2. Consequent upon implementation of revised pay structure of Nursing Staff after implementation of 6th CPC, it has been decided, in consultation with the Ministry of Health and Family Welfare to continue the scheme in the present format with the slight change that the increment to be granted will be 3% of the basic pay of the Nursing Staff concerned.

3. Only two additional non-absorbable increments are admissible to a Nurse in a particular grade where possession of such qualifications is not required as per Recruitment Rules.

4. The grant of the aforesaid increments is subject to the condition that the concerned Nursing Staff is not required to possess the qualification, for which the increment is claimed, as a condition of employment and that they have not been allowed a higher initial pay on account of the said qualifications prior to/on/or after 01.10.1986.

5. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(M.K. Panda)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 33/2012

क्रम सं. पीसी-VI 286

सं. पीसी-VI/2010/आई/7/5/1

नई दिल्ली, दिनांक 14.3.2012

महाप्रबंधक/मु.प्र.अ.(रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- नर्सिंग स्टाफ के लिए दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियों की संशोधित दर।

अतिरिक्त अर्हता के रूप में बी.एस.सी. डिग्री वाले नर्सिंग स्टाफ, जिसकी नियुक्ति 01.01.1996 से पहले हुई हो, को भा.रे.स्था.नि., वॉल.-I, 1989 संस्करण के पैरा 160(2) (iii) के अनुसार दो अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ प्रदान किया गया था। ये अतिरिक्त वेतनवृद्धियां हैं, जिन्हें समाहित नहीं किया जा सकता और इन्हें भत्तों के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाता है। इसके अलावा, योजना को जारी रखने और 01.01.1996 से संशोधित वेतनमानों में वेतन के निर्धारण के लिए बोर्ड के दिनांक 28.02.2005 के पत्र सं. पीसी-V/2003/आई /7/6/1 के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अनुदेश जारी किए गए थे।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद नर्सिंग स्टाफ की संशोधित वेतन संरचना को लागू करने के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से यह विनिश्चय किया गया है कि इस थोड़े से परिवर्तन के साथ कि प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि संबंधित नर्सिंग स्टाफ के मूल वेतन का 3 प्रतिशत होगी, वर्तमान फार्मेट को जारी रखा जाए ।

3. केवल दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां, जिन्हें समाहित नहीं किया जा सकता, उस विशिष्ट ग्रेड में नर्स के लिए स्वीकार्य हैं, जिनके लिए भर्ती नियमों के अनुसार ऐसी अर्हताओं का होना अपेक्षित नहीं है ।

4. उपर्युक्त वेतनवृद्धियां इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है कि संबंधित नर्सिंग स्टाफ के लिए उस अर्हता, जिसके लिए वेतनवृद्धि का दावा किया गया हो, का होना नियोजन की शर्त के रूप में अपेक्षित न हो और उन्हें 1.10.1986 से पहले/को/अथवा बाद में उक्त अर्हताओं के कारण उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान न किया गया हो ।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एम. के. पाण्डा)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग